23.05.24 वादी अभि० ने प्रा० पत्र प्रस्तुत कर वादी विड्रो करने हेतु निवेदन किया। वादी अभि० के निवेदन पर पत्रावली तलब की जाकर वादी अभि० को बहस सुनी गई। वादी अभि० के बाद विड्रो के निवेदन को स्वीकार कर वाद विड्रो की अनुमति दी जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

सहायक कलक्टर (मु०), अजमेर

23/5/24